Date-27Sep to 1Oct Weekly Current Affairs

YOJNA IAS

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

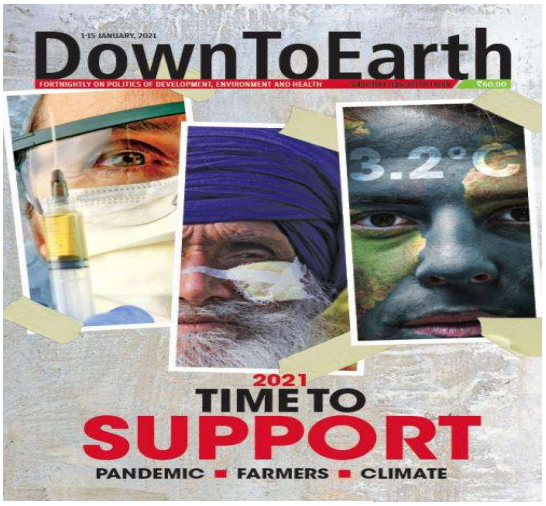

ET THE ECONOMIC TIMES

माइक्रोचिप: मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना

Microchip: Smallest Man-Made Flying Structure

- हाल ही में 'नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी' (US) ने उड़ान क्षमता योग्य एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर का निर्माण किया है, जो अब तक की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना है।

प्रमुखबिंदु

परिचय:

- यह एक रेत के दाने के आकार का है और इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं है।
- यह मेपल के पेड़ के प्रोपेलर बीज की तरह हवा के माध्यम से उड़ान भरता है और हवा के ही माध्यम से एक हेलीकॉप्टर की तरह घूमता है।

डिज़ाइन का विचार

- इंजीनियरों ने मेपल के पेड़ों और अन्य प्रकार के हवा में बिखरे हुए बीजों का अध्ययन करके इसका डिज़ाइन विकसित किया

है, इसे इस प्रकार तैयार किया है कि जब यह ऊँचाई से गिराया जाए तो नियंत्रित तरीके से धीमी गति से गिरेगा।

- यह गुण इसकी उड़ान को अधिक स्थिर बनाता है और इसे एक व्यापक क्षेत्र कवर करने में मदद करता है, जिससे यह अधिक समय तक हवा में रह सकता है।
- वैज्ञानिकों ने कई अलग-अलग प्रकार के माइक्रोफ्लियर डिज़ाइन किये हैं, जिनमें तीन पंखों वाला एक माइक्रोफ्लियर भी शामिल है, जो कि ट्रिस्टेलेटिया बीज पर पंखों जैसा दिखता है।

महत्त्व

- इसमें सेंसर, पावर स्रोत, वायरलेस संचार हेतु एंटेना और डेटा स्टोर करने के लिये एम्बेडेड मेमोरी सहित अल्ट्रा-मिनिएचराइज़्ड तकनीक शामिल की जा सकती है।
- 'मिनिएचराइज़ेशन' का आशय छोटे यांत्रिक, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया से है।
- यह वायु प्रदूषणऔर वायुजनित रोगों की निगरानी के लिये महत्त्वपूर्ण है।

'राष्ट्रीय सेवा योजना' पुरस्कार

National Service Scheme Awards

- हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने वर्ष 2019-20 के लिये 'राष्ट्रीय सेवा योजना' (NSS) पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

'राष्ट्रीय सेवा योजना' पुरस्कार

- वर्ष 2019-20 के लिये 'राष्ट्रीय सेवा योजना' पुरस्कार तीन अलग-अलग श्रेणियों में जैसे- विश्वविद्यालय, प्लस टू परिषदों, एन.एस.एस. इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्वयंसेवकों को दिये गए हैं।

स्थापना

- राष्ट्रीय सेवा योजना की 25वीं वर्षगाँठ के अवसर पर वर्ष 1993-94 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा एनएसएस पुरस्कारों की स्थापना की गई थी।

उद्देश्य

- युवा एनएसएस छात्र स्वयंसेवकों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- एनएसएस स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम समन्वयकों को प्रोत्साहित करना।
- सामुदायिक कार्य के प्रति अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखने के लिये एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रेरित करना।

राष्ट्रीय सेवा योजना:

परिचय:

- NSS एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। NSS की विचारधारा महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है।
- इसका आदर्श वाक्य **'मैं नहीं बल्कि आप' (Not me but You)** है।

NSS स्वयंसेवक:

- वे नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर काम करते हैं, जिसमें साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम, आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम, आपदाओं के दौरान बचाव व राहत आदि शामिल हैं।

'विजय सांस्कृतिक महोत्सव'

- **भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर** तक **कोलकाता** में **"विजय सांस्कृतिक महोत्सव (Bijoya Sanskritik Mahotsav)"** का आयोजन करेगी।

- यह महोत्सव **भारत-पाक युद्ध 1971** की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे (Manoj Pande) करेंगे।
- इस कार्यक्रम के दौरान फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- यह भारत-पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्षा समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा।

भारत-पाक युद्ध 1971 के बारे में:

- युद्ध **3 दिसंबर 1971** को शुरू हुआ और **16 दिसंबर 1971** को समाप्त हुआ।
- यह बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था।
- युद्ध तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए। यह शायद पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ लड़ाई लड़ी।
- पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी (Amir Abdullah Khan Niazi) के 93,000 सैनिकों के साथ, भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया।
- 2 अगस्त 1972 को, भारत और पाकिस्तान ने **शिमला समझौते** पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पूर्व में युद्ध के सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने पर सहमति हुई।

अंत्योदय दिवस

- भारत में, **पंडित दीनदयाल उपाध्याय (Pandit Dindayal Upadhyaya)** की जयंती को चिह्नित करने के लिए हर साल **25 सितंबर** को **अंत्योदय दिवस (Antyodaya Diwas)** मनाया जाता है।
- अंत्योदय का अर्थ "गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान" या "अंतिम व्यक्ति का उत्थान" (uplifting the poorest of the poor" or "rise of the last person)" है।
- यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर **2014** को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर **2015** से मनाया जा रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में:

- **1916** में **मथुरा** में पैदा हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय **भारतीय जनसंघ** के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनसे बाद में भाजपा का उदय हुआ।
- वे **1953 से 1968** तक **भारतीय जनसंघ** के नेता रहे।
- दीनदयाल उपाध्याय एक मानवतावादी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, दार्शनिक और सक्षम राजनेता थे।
- दीनदयाल उपाध्याय को **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh - RSS)** में उनके सहपाठी बालूजी महाशब्दे (Baluji Mahashabde) द्वारा पेश किया गया था

- दीनदयाल उपाध्याय ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हालाँकि, वह सेवा में शामिल नहीं हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक बन गए।
- 1940 के दशक में, दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक मासिक पत्रिका **'राष्ट्र धर्म (Rashtra Dharma)'** का शुभारंभ किया। बाद में, उन्होंने **'पांचजन्य (Panchjanya)'**, एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक, **'स्वदेश (Swadesh)'** शुरू किया।
- दीनदयाल उपाध्याय के **'एकात्म मानववाद (Integral Humanism)'** के दार्शनिक विचार को 1965 में जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था।
- दीनदयाल उपाध्याय ने **'समयनीत उपभोग'** (टिकाऊ उपभोग - sustainable consumption) की वकालत की। वह पश्चिम के पूंजीवादी समाजों द्वारा प्रचलित प्रकृति माँ के शोषण के पक्ष में नहीं थे।
- दीनदयाल उपाध्याय 11 फरवरी, 1968 की तड़के उत्तर प्रदेश के मुग़लसराय (Mughalsarai) रेलवे स्टेशन के पास रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पाया कि उन्हें लुटेरों ने मार दिया था।

गोवा की जीआई (GI) टैग प्राप्त फेनी

GI Tagged Feni: Goa

- हाल ही में गोवा सरकार की फेनी नीति 2021 ने भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणित काजू से निर्मित गोवा की फेनी को अन्य अंतर्राष्ट्रीय शराब जैसे- मेक्सिको की टकीला (Tequila), जापानी शेक (Sake) और रूस की वोदका (Vodka) के बराबर लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- वर्ष 2016 में गोवा सरकार ने फेनी को गोवा की हेरिटेज स्प्रिट (Heritage Spirit of Goa) के रूप में वर्गीकृत किया।

प्रमुख बिंदु

गोवा काजू फेनी:

- यह 'हेरिटेज ड्रिंक' (Heritage Drink) का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला शराब उत्पाद है जिसे वर्ष 2000 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ। केवल काजू फेनी को जीआई-टैग प्रदान किया गया है।
- फेनी, नारियल या काजू के फलों से बना एक काढ़ा है और गोवा के लोकाचार एवं पहचान का पर्याय है।
- पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से भारत में काजू के पौधों को आयात करने के बाद फेनी का निर्माण पहली बार 1600 के दशक में गोवा में किया गया था। वर्तमान में गोवा में फेनी की 26 किस्मों का निर्माण होता है।

- इसका उपयोग विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं, व्यंजनों में किया जाता है तथा यह अपने औषधीय महत्त्व के लिये भी जानी जाती है।

गोवा के अन्य जीआई-टैग प्राप्त उत्पाद:

- खोला लाल मिर्च/कैनाकोना मिर्च (Khola Red Chilies/Canacona Chillies), मसालेदार हरमल मिर्च (Spicy Harmal Chillies),मंडोली या मोइरा केला (Myndoli Banana or Moira Banana) और पारंपरिक गोअन खाजे (Goan Khaje) मिठाई।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) प्रमाणन:

परिचय:

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं हेतु किया जाता है।
- माल के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों

के पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह **विश्व व्यापार संगठन** के **बौद्धिक संपदा अधिकारों** (TRIPS) के तहत व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी एक हिस्सा है।

प्रशासित:

- पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक जो कि भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार (Registrar) है।
- भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री/लेखागार चेन्नई में स्थित है।

पंजीकरण की वैधता:

- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है।
- इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

- जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये **पेरिस कन्वेंशन** (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकारों** (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन **विश्व व्यापार संगठन** (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-**TRIPS**) पर समझौते के तहत किया जाता है।

- वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य **'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- वर्ष 2004 में **'दार्जिलिंग टी'** जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।
- महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
- जीआई टैग किसी उत्पाद की **गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत** है। कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना भी जीआई पहचान वाले उत्पाद हैं

सौभाग्य योजना SAUBHAGYA SCHEME

- 'सौभाग्य योजना' (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) की **शुरुआत 25 सितंबर, 2017 को** की गई थी।
- यहविश्वकीसबसेबडी़घरेलूविद्युतीकरणयोजनाओंमेंसेएकहै।सौभाग्ययोजनाकेप्रारंभहोनेकेबादसे31 मार्च, 2021 तक 2.82 करोड़ घर विद्युतीकृत हो चुके हैं।
- इसयोजनाका **लक्ष्य कनेक्टिविटी व पहुँच के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों व शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्रदान करना था।**

- इसयोजनामेंघरोंतकविद्युतआपूर्तिसुनिश्चितकरनेकेलियेनिकटत मखंभेसेघरतकसर्विसकेबलप्रदानकीजातीहैतथाविद्युतमीटरल गायाजाताहै।
- साथही, एल.ई.डी. बल्ब के साथ सिंगल लाइट पॉइंट वायरिंग और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी प्रदान किये जाते हैं।
- इसयात्राकीशुरुआत'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (DDUGJY) से हुई, जिसके तहत गाँवों में विद्युतीकरण के बुनियादी ढाँचा निर्माण की परिकल्पना की गई थी।
- यहयोजनाग्रामीणक्षेत्रोंमेंबिजलीआपूर्तिकीगुणवत्ताऔरविश्वसनीय तामेंसुधारकरनेकेलियेमौजूदाबुनियादीढाँचेतथाफीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग आदि के सुदृढ़ीकरण व संवर्द्धन पर केंद्रित थी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

संदर्भ:

- विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: AB-PMJAY) को तीन साल पूरे हो गए हैं। यह योजना 23 सितंबर, 2018 को शुरू की गयी थी।

PM-JAY की प्रमुख विशेषताएं:

1. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना है।
2. यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहया कराती है।
3. **कवरेज:** 74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकतें हैं।
4. इस योजना में सेवा-स्थल पर लाभार्थी के लिए कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है।
5. AB-PMJAY योजना को पूरे देश में लागू करने और इसके कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण' (**National Health Authority – NHA**) नोडल एजेंसी है।
6. यह योजना, कुछ केंद्रीय क्षेत्रक घटकों के साथ एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।

योजना के अंतर्गत पात्रता:

1. इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
2. इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गम्भीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
3. इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होतीं हैं।

4. यह एक पोर्टेबल योजना हैं यानी की लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकतें हैं।
5. इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएं और पैकिज शामिल हैं जैसे की दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ-टी और आई-सी-यू शुल्क इत्यादि जो मुफ़्त उपलब्ध हैं।
6. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार:

- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) कार्यक्रम जिन राज्यों में लागू किया गया, वहां स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।
- PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में, योजना से अलग रहने वाले राज्यों की तुलना में, स्वास्थ्य बीमा का अधिक विस्तार, शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी, परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग में सुधार और एचआईवी / एड्स के बारे में अधिक जागरूकता आदि का अनुभव किया गया।
- PM-JAY लागू करने वाले राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई, जबकि योजना से अलग रहने वाले राज्यों में 10% की गिरावट दर्ज की गयी है।

International Daughters Day 2021

- हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को 'अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस' (International Daughter's Day) मनाया जाता है |
- इस साल 26 सितंबर कोDaughters Day मनाया जा रहा है, हर रिश्ते का एक खास दिन मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का एक खास उद्देश्य है |
- इस उद्देश्य के तहत पूरी दुनिया में बेटियों को भी बेटे के समान ही महत्व और सम्मान दिया जाए इसलिए यह दिन मनाया जाता है |
- बेटी की अहमियत उसके माता-पिता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है. उनके मासूम बचपन को देखकर माता-पिता सारे गम और परेशानियां भूल जाते हैं |

अंतरराष्ट्रीय डॉटर्स दिवस का महत्व

- परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखने में एक बेटी का महत्वपूर्ण किरदार है, जिस समाज में महिलाओं को पुरूष से कमतर माना जाता है उस समाज में बदलाव लाने के लिए इस दिन की महत्वपूर्ण अहमियत है |

डॉटर्स दिवस क्यों मनाया जाता है

- बेटियों को समर्पित यह दिन उनकी तारीफ करने और उनको यह बताने के लिए मनाया जाता है कि वे कितनी खास हैं |

- यह दिन बेटियों के लिए जागरूकता बढ़ाने और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है |
- इस दिन को मनाने का मतलब लोगों को जागरूक करना है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए |

डॉटर्स दिवस का इतिहास

- संयुक्त राष्ट्र ने समाज में लड़के और लड़कियों के बीच की गहरी खाई को पाटने की पहल की |
- संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों के महत्व को समझते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को एक दिन बेटियों को समर्पित किया |
- दुनिया भर के देशों ने संयुक्त राष्ट्र की इस पहल का स्वागत किया, इसके बाद से ही हर देश में बेटियों के लिए एक दिन समर्पित किया गया है | हर देश में डॉटर्स दिवस अलग-अलग दिन मनाया जाता है |

विश्व पर्यटन दिवस 2021

World Tourism Day 2021

- विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है|
- कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह पर्यटन का क्षेत्र है|
- पर्यटन के माध्यम से हमें दूसरे स्थानों,सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है|
- विश्व पर्यटन मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक विकास और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन के वैश्विक महत्व को उजागर करना है|

2021 की थीम

- हर साल यह खास दिन एक विषय यानी थीम के साथ मनाया जाता है|
- इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2021 की थीमसमावेशी विकास के - पर्यटन लिएTourism For Inclusive Growth) है| इस थीम के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा|

क्यों मनाया जाता है?

- पर्यटन से रोजगार बढ़ता है और इसलिए विश्व पर्यटन दिवस के जरिए लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है|
- इस दिन के जरिए देशविदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित - किया जाता है|

उद्देश्य

- पर्यटन से रोजगार तेजी से बढ़ता है और इसलिए विश्व पर्यटन दिवस के द्वारा लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने और अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को बड़े स्तर पर मनाया जाता है|
- इस दिन के माध्यम से देशविदेश के पर्यटकों को अपनी ओर - टन के माध्यम से लोगों के लिए पर्य .आकर्षित किया जाता है रोजगार को तेजी से बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है|

विश्व पर्यटन दिवस का इतिहास

- विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है|
- विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत साल 1970 में विश्व पर्यटन संस्था द्वारा की गई थी, पहली बार विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 1980 को मनाया गया और तब से हर साल 27 सितंबर के दिन ही विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है|
- इस्तांबुल के तुर्की में अक्टूबर 1997 को 12वीं यूएनडब्ल्यूटीओ UNWTO) महासभा ने यह फैसला लिया कि प्रत्येक वर्ष संगठन के किसी एक देश को विश्व पर्यटन दिवस मनाने के लिए सहयोगी रखा जाएगा|
- इसी परिकल्पना में विश्व पर्यटन दिवस साल 2006 में यूरोप में, साल 2007 में साउथ एशिया में, साल 2008 में अमेरिका में, साल 2009 में अफ्रीका में और 2011 में मध्य पूर्व क्षेत्र के देशों में मनाया गया|

- संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल विश्व पर्यटन दिवस की विषयवस्तु - तय करती है|

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितम्बर सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शुभारंभ किया है।
- पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्रचीर से इस पायलट परियोजना का ऐलान किया था।
- फिलहाल इस योजना को छह केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू किया जा रहा है। ये हैं अंडमान और निकोबार -, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी।

- एनडीएचएम की राष्ट्रव्यापी शुरूआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के साथ ही की जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी उपस्थित रहेंगे।

- इस मिशन के तहत देश में सभी लोगों की एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनके बारे में सभी तरह की मेडिकल जानकारी सेव की जाएगी।

- उम्मीद की जा रही है कि इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी में उसकी पूरी मेडिकल जानकारी सेव की जाएगी। ऐसे में जब भी वह इलाज कराने जाएगा, तब डॉक्टर उसकी हेल्थ आईडी में सेव जानकारी के आधार पर उसके बारे में कई बातें पहले ही पता कर लेंगे और उसी हिसाब से टेस्ट कराएंगे।

- एक एप्लीकेशन की मदद से व्यक्तिगत हेल्थ रिकॉर्ड जोड़ा और देखा जा सकता है। इसमें हर मरीज का डेटा होगा, जिसका उपयोग हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और हेल्थकेयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री भी कर सकेंगे। डॉक्यरों के अलावा अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवसाय में भी इससे आसानी होगी।

- इसके तहत, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर) और हेल्थकेयर फैसिलिटीज रजिस्ट्रियां (एचएफआर), आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों दोनों ही मामलों में सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक संग्रह के रूप में कार्य करेंगी।

- यह चिकित्सकों के साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवसाय में भी आसानी को सुनिश्चित करेगा।

नागा खीरे

- नागालैंड के **"मीठा खीरे (sweet cucumber)"** को **भौगोलिक पहचान (जीआई) टैग** से कृषि उत्पाद के रूप में **माल के भौगोलिक संकेत (Geographical Indications of Goods) (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** के प्रावधानों के तहत सम्मानित किया गया था।

- खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है।

- नागालैंड में इस फल की पांचवीं सबसे ज्यादा खेती होती है और उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।

नागा खीरे के बारे में:

- नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है।

- यह पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें कम कैलोरी होती है।

- खीरा इस छोटे से राज्य का पहला उत्पाद नहीं है जिसे जीआई टैग मिला है।

- पेड़ टमाटर (टैमारिल्लो) और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च के दोनों क्षेत्रीय रूपों को भी जीआई टैग किया गया है।

भौगोलिक संकेतक)Geographical Indication) प्रमाणन:

परिचय:

- भौगोलिक संकेतक)Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है।
- इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं हेतु किया जाता है।
- माल के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह **विश्व व्यापार संगठन** के **बौद्धिक संपदा अधिकारों** (TRIPS) के तहत व्यापारसंबंधित पहलुओं का - भी एक हिस्सा है।

प्रशासित:

- पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक जो कि भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार)Registrar) है।
- भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रीलेखागार चेन्नई में स्थित है।/

पंजीकरण की वैधता:

- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है।
- इसे समय य परसम-10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

- जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये **पेरिस कन्वेंशन** (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) के तहत **बौद्धिक संपदा अधिकारों** (आईपीआर)ल के एक घटक के रूप में शामि किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन **विश्व व्यापार संगठन** (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-**TRIPS**) पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक ')पंजीकरण और संरक्षणअधिनियम (, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी'जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।

- महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू तथा मध्य प्रदेश के झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
- जीआई टैग किसी उत्पाद की **गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत** है। कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना भी जीआई पहचान वाले उत्पाद हैं

राजाजी टाइगर रिज़र्व

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालयद्वारा नियुक्त एक समिति ने राजाजी टाइगर रिज़र्व के बफर ज़ोन में 4.7 किलोमीटर की सड़क (लालढांग-चिल्लरखाल रोड) के उन्नयन के लिये दी गई छूट पर सवाल उठाया है और केंद्र तथा उत्तराखंड सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

- सड़कों की माप में छूट को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife- NBWL) द्वारा मंज़ूरी दी गई थी जो कि संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत तथा उनके आसपास परियोजनाओं को - मंज़ूरी देने वाली शीर्ष एजेंसी है।

प्रमुख बिंदु

टाइगर रिज़र्व का कोर तथा बफर क्षेत्र:

- वन्यजीव संशोधन अधिनियम (संरक्षण)2006 के के अनुसार, एक बाघ अभयारण्य में एक कोर या महत्त्वपूर्ण आवास क्षेत्र तथा इसके परिधीय क्षेत्र में एक बफर ज़ोन अवश्य होना चाहिये।

- जहाँ संरक्षण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण आवास (Critical Habitat) को संरक्षित रखा जाना आवश्यक है वहीं बाघों के प्रसार के लिये पर्याप्त स्थान के साथ आवास की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु एक बफर ज़ोन का होना भी आवश्यक है।
- इसका उद्देश्य वन्य जीवन और मानव गतिविधि के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है।

राजाजी टाइगर रिज़र्व के विषय में:

अवस्थिति: हरिद्वार (उत्तराखंड), शिवालिक श्रेणी की तलहटी में। यह राजाजी नेशनल पार्कका हिस्सा है।

पृष्ठभूमि: राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में उत्तराखंड में तीन अभयारण्यों यानी राजाजी, मोतीचूर और चीला को मिलाकर की गई थी।

- इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सीराजगोपालाचारी के . नाम पर रखा गया था; जो कि "राजाजी"के नाम से प्रसिद्ध थे|
- वर्ष 2015 में इसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया तथा यह देश का 48वाँ टाइगर रिज़र्व बना।

प्रमुख विशेषताएँ:

वनस्पति: चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, नदी तटीय वनस्पति, झाड़ियाँ, घास के मैदान और देवदार के वन इस पार्क में वनस्पतियों की एक श्रेणी बनाते हैं।

- साल (Shorearobusta) यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वृक्ष प्रजाति है।

जीवजगत: यह रिज़र्व बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू/स्लॉथ बियर, सियार, लकड़बग्घा, चित्तीदार हिरण, सांभर, बार्किंग डिअर, नीलगाय, बंदर और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों सहित स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है।

नदियाँ: गंगा और सोंग नदियाँ इससे होकर गुज़रती हैं।

उत्तराखंड में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान)
- फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो एक साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं।
- गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य
- गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान
- नंधौर वन्यजीव अभयारण्य

पीएम केयर्स

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है, कि पीएम केयर्स (PM CARES) फंड "भारत सरकार का कोष नहीं है और इसकी राशि 'भारत के समेकित कोष' में शामिल नहीं की जाती है"।

पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार द्वारा यह हलफनामा, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के प्रत्युत्तर में दिया गया। उक्त याचिका में, PM CARES फंड को'सूचना के अधिकार' (RTI) अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' घोषित करने की मांग की गई थी।

सरकार द्वारा दिया गया जबाब:

- भले ही, 'न्यास' (Trust) भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या के भीतर एक "राज्य" या अन्य 'प्राधिकरण' समझा जाता है, और यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(h), सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 और उपबंध (e) और (j) में निहित प्रावधानों के तहत आता है, किंतु 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के तहत, किसी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं है।
- और, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन के उपयोग के विवरण के साथ, एक ऑडिट रिपोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है।

PM-CARES के बारे में:

- आपातकालीन स्थिति में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in

Emergency Situations Fund : PM-CARES Fund) का गठन, कोविड-19 महामारी, और इसी प्रकार की अन्य आपात स्थितियों के दौरान, दान स्वीकार करने और राहत प्रदान करने के लिए किया गया था।

पीएम केयर्स फंड के बारे में:

- PM CARES फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को 'पंजीकरण अधिनियम, 1908' के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गयी थी।
- यह विदेशी अंशदान से से प्राप्त दान का लाभ उठा सकता है और इस निधि में दिया जाने वाला दान 100% कर-मुक्त होता है।
- PM-CARES, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से अलग है।

फंड का प्रबंधन कौन करता है?

- प्रधानमंत्री, PM CARES फंड के पदेन अध्यक्ष और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं।

महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश: आइसलैंड

- आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है|
- यह उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है, महिला उम्मीदवारों ने मतगणना संपन्न होने पर आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की|
- प्रधानमंत्री कैटरीन जेकब्सडाटिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों दलों ने मतदान में कुल 37 सीटें जीतीं|

- गठबंधन को पिछले चुनाव की तुलना में दो सीटें अधिक मिली हैं और सत्ता में बरकरार रहने की संभावना नजर आ रही है, चुनाव में इन नतीजों को उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है|

गठबंधन सरकार

- आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है|

संसद में कुल आठ दल

- रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव के नतीजों ने भविष्य के कैबिनेट गठबंधन को खुला छोड़ दिया क्योंकि गठबंधन दलों की सफलता अभी भी अनिश्चित बनी हुई है| संसद में कुल मिलाकर आठ दलों का प्रतिनिधित्व किया गया|

आइसलैंड की संसद

- पहली बार आइसलैंड की संसद में पुरुष सांसदों)30) की तुलना में अधिक महिला सांसद)33) होंगी|
- प्रधानमंत्री कैटरीन जेकब्सडाटिर ने 26 सितंबर 2021 को कहा कि सरकार बनाने के लिए बातचीत जटिल होगी|

मतदान 80.1 प्रतिशत

- गठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर सरकार बनी तो सरकार के निरंतर सहयोग पर चर्चा करने का यह पहला विकल्प होगा|
- पूरे देश में मतदाताओं का मतदान 80.1 प्रतिशत था, जो साल 2017 में पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा कम है|

जनमत सर्वेक्षण में वामपंथी दल

- जनमत सर्वेक्षण में वामपंथी दलों की जीत का संकेत दिया गया था| इसमें 10 पार्टियों के बीच सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा थी| लेकिन, मध्य दक्षिणपंथी 'इंडिपेंडेंस पार्टी' को सबसे ज्यादा मत मिले और उसने 16 सीटें जीती| इन 16 सीटों में सात पर महिलाओं की जीत हुई|
- मध्यमार्गी 'प्रोग्रेसिव पार्टी' ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की और 13 सीटें जीतने में कामयाब रही, पिछली बार की तुलना में प्रोग्रेसिव पार्टी को पांच अधिक सीटों पर जीत मिली थी|

असम की जुडिमा वाइन राइस को जीआई टैग

- हाल ही में असम की जुडिमा (Judima) वाइन राइस, भौगोलिक संकेतक(जीआई) टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है।
- जुडिमा, असम की डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू/स्थानीय चावल से निर्मित शराब है।

- यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के पहाड़ी ज़िलों का दूसरा उत्पाद है।
- इससे पहले मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिला है।

भौगोलिक संकेतक (GI)

- जीआई एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशिष्ट विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिये किया जाता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
- भारत में, भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 [Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act,1999] द्वारा विनियमित किया जाता है। यह भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (चेन्नई) द्वारा जारी की जाती है।
- एक भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिये वैध होता है।
- भारत में जीआई सुरक्षा से अन्य देशों में उत्पाद की पहचान होती है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

प्रमुख बिंदु

जुडिमा (Judima) के बारे में:

- जुडिमा, चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस (बोरा नामक चिपचिपा चावल) से निर्मित शराब है, जिसमें उबले हुए और

पारंपरिक जड़ी बूटियों को मिश्रित किया जाता है जिसे थेम्ब्रा Thembra (Acacia pennata) कहा जाता है।

- यह शराब राज्य (असम) की डिमासा जनजाति की विशेषता है और इसका एक विशिष्ट मीठा स्वाद है जिसे तैयार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है तथा इसे वर्षों तक संग्रहीत किया जा सकता है।
- राज्य में लगभग 14 मान्यता प्राप्त मैदानी जनजाति समुदाय, 15 पहाड़ी जनजाति समुदाय और 16 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति समुदाय हैं।
- बोडो सबसे बड़ा समूह है, जिसमें राज्य की जनजातीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा शामिल है। अन्य प्रमुख एसटी समूहों में मिसिंग, कार्बी, राभा, कचारी, लालुंग और डिमासा शामिल हैं।

असम के अन्य हालिया जीआई टैग प्राप्त उत्पाद:

- काजी नेमू (एक प्रकार का नींबू) (2020)
- असम का चोकुवा चावल (2019)

भगवान नटराज

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रधानमंत्री को 157 कलाकृतियों और पुरावशेषों को सौंपा, जिसमें नटराज की एक कांस्य मूर्ति भी शामिल थी।

- 10वीं शताब्दी में बने बलुआ पत्थर में रेवंता का बेस रिलीफ पैनल, 56 टेराकोटा के टुकड़े, कई कांस्य मूर्तियाँ तथा 11वीं और 14वीं शताब्दी से संबंधित ताँबे की वस्तुओं का एक विविध सेट भी इस मूर्ति के साथ भारत को सौंपा गया।
- सौंपी गई वस्तुओं की सूची में 18वीं शताब्दी की तलवार भी शामिल है, जिसमें फारसी में गुरु हरगोबिन्द सिंह का उल्लेख है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक पुरावशेषों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- नटराज (नृत्य के भगवान), हिंदू भगवान शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में, विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं।
- यह चोल मूर्तिकला का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।

- नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। सभी रचनाएँ डमरू की महान ध्वनि से निकलती हैं।
- ऊपरी बाएँ हाथ में शाश्वत अग्नि है, जो विनाश का प्रतीक है। विनाश सृष्टि का अग्रदूत और अपरिहार्य प्रतिरूप है।
- निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है जो आशीर्वाद का प्रतीक है और भक्त को न डरने के लिये आश्वस्त करता है।
- निचला बायाँ हाथ ऊपर उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग को इंगित करता है।
- शिव एक बौने की आकृति पर नृत्य कर रहे हैं। बौना अज्ञानता और व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है।
- भगवान शिव को ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार की गति के स्रोत के रूप में दिखाया गया है और प्रलय के दिन को नृत्य, ज्वाला के मेहराब द्वारा दर्शाया गया है, ये ब्रह्मांड के विघटन को संदर्भित करते हैं।
- शिव के उलझे बालों से बहने वाली धाराएँ गंगा नदी के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- शिव केएक कान में नर तथा दूसरे में मादा अलंकरण है। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अर्द्ध-नारीश्वर रूप में जाना जाता है।
- शिव की भुजा के चारों ओर एक साँप मुड़ा हुआ है। साँप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। यदि कुंडलिनी शक्ति जाग्रत हो जाए, तो व्यक्ति सच्ची चेतना प्राप्त कर सकता है।
- नटराज जगमगाती रोशनी के एक बादल/निंबस से घिरा हुआ है जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है।

गुजरात विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष

- हाल ही में, वयोवृद्ध विधायक **निमाबेन आचार्य** को सर्वसम्मति से गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है।

सदन के अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में किए गए प्रावधानों के अनुसार, "सदन, यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव करने हेतु राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाती है, इसके पश्चात निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करने हेतु तारीख तय करता है।
- संबंधित सदनों के सांसद / विधायक, इन पदों पर सदन के सदस्यों में से किसी एक का निर्वाचन करने हेतु मतदान करते हैं।

सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की भूमिकाएं और कार्य:

- अध्यक्ष, "सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है, और सदन का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। वह शेष विश्व के लिए सदन का एकमात्र प्रतिनिधि होता है"।
- अध्यक्ष, सदन की कार्यवाही और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- अध्यक्ष, किसी विधेयक के, 'धन विधेयक' होने अथवा न होने संबंधी और इसके 'धन विधेयक' होने पर दूसरे सदन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होने संबंधी निर्णय करता है।
- आमतौर पर, अध्यक्ष को सत्ताधारी दल से चुना जाता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान, लोकसभा उपाध्यक्ष के मामले में यह स्थिति भिन्न रही है।
- संविधान में 'लोकसभा अध्यक्ष' की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु, इसका वेतन 'भारत की संचित निधि' पर भारित किया गया है, और इस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है।
- किसी विधेयक पर बहस या सामान्य चर्चा के दौरान संसद सदस्यों द्वारा केवल 'अध्यक्ष' को ही संबोधित किया जाता है।

चुनाव कराने हेतु समय-सीमा निर्दिष्ट करने वाले राज्य:

संविधान में 'सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' हेतु चुनावों के लिए कोई प्रक्रिया या समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इन पदों पर चुनाव आयोजित करने संबंधी निर्णय लेने का दायित्व विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया है।

उदाहरण के लिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 'अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष' पदों के निर्वाचन हेतु एक समय-सीमा निर्दिष्ट की गयी है:

हरियाणा:

1. हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, आम चुनाव संपन्न के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है। और फिर, इसके सात दिनों के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
2. निर्धारित नियमों के अनुसार, इन पदों में से कोई पद रिक्त होने पर, विधायिका के अगले सत्र में पहले सात दिनों के भीतर इसके लिए चुनाव किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश:

1. विधानसभा की अवधि के दौरान यदि किसी कारणवश 'अध्यक्ष' का पद रिक्त हो जाता है, तो इस पद के हेतु, पद-रिक्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर चुनाव करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
2. 'उपाध्यक्ष' पद के मामले में, पहली बार चुनाव की तारीख 'अध्यक्ष' द्वारा तय की जाती है, और इसके बाद में हुई की रिक्तियों को भरने हेतु चुनाव के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021

- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन- शहरी' ((SBM-U) द्वारा कराया जाने वाले विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) के सातवें संस्करण का शुभारंभ किया गया है।

सातवें संस्करण के प्रमुख बिंदु:

- 'पहले जनता' के मुख्य 'दर्शन' (Philosophy) के साथ तैयार किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण, 2022 में शहरों में अग्रणी स्वच्छता कर्मचारियों के समग्र कल्याण और स्वास्थ्य पर केंद्रित पहलों को शामिल किया गया है।
- आजादी@75 की विषयवस्तु से जुड़े इस सर्वेक्षण में वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की बात को भी प्राथमिकता दी जाएगी और शहरी भारत की स्वच्छता को बनाए रखने की दिशा में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाया जाएगा।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में वैज्ञानिक संकेतकों को शामिल किया गया है, जो शहरी भारत के स्वच्छता के सफर में इन अग्रणी सैनिकों के लिए काम की स्थितियों और आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए शहरों को प्रेरित करते हैं।
- यह सर्वेक्षण, शहरी भारत के स्मारकों और विरासत स्थलों को साफ करने के लिए नागरिकों को जिम्मेदारी लेने और पहल करने के लिए प्रेरित करके भारत की प्राचीन विरासत और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तैयार है।
- इस वर्ष का सर्वेक्षण 15 हजार से कम और 15-25 हजार के बीच की जनसंख्या वाली दो श्रेणियों की शुरुआत के द्वारा छोटे शहरों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- सर्वेक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए, पहली बार जिला रैंकिंग शुरू कर दी गई है।
- सर्वेक्षण का विस्तार करते हुए अब इसमें नमूने के लिए 100 प्रतिशत वार्डों को शामिल कर लिया गया है, पिछले वर्षों में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत था।

स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है?

- स्वच्छ सर्वेक्षण का आरंभ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जनवरी 2016 में किया गया था।

- स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के प्रदर्शन की निगरानी करना है।
- इसका लक्ष्य भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर बनने की दिशा में शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है?

- भारतीय गुणवत्ता परिषद् (Quality Council of India- QCI) को सर्वेक्षण में भाग लेने वाले शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का दायित्व दिया गया है।
- यह एक स्वायत्त प्रमाणन संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997 में प्रशासन सहित सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था।

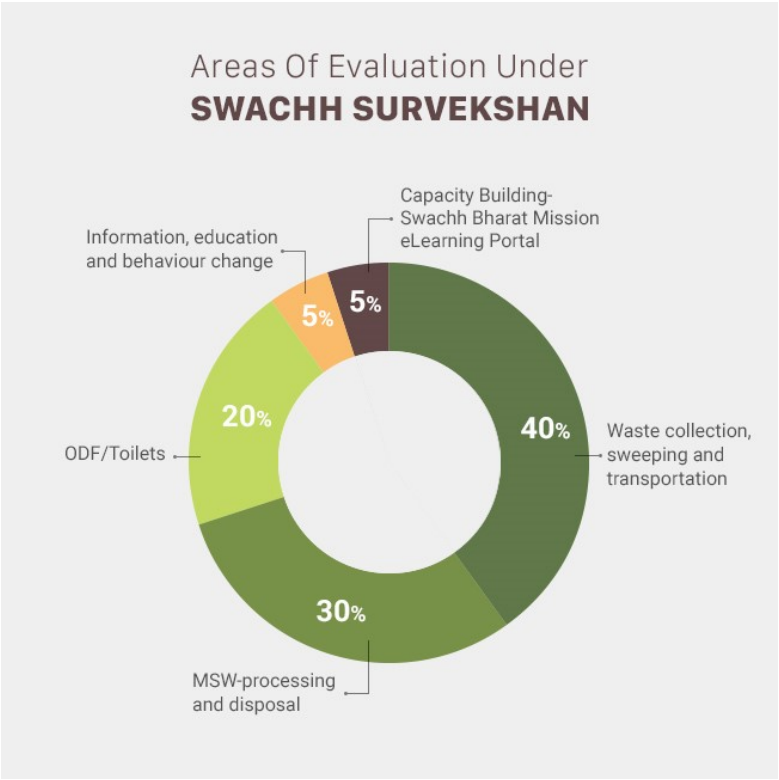

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (International Criminal Court – ICC) के नए अभियोजक ने अदालत से अफगानिस्तान में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के समर्थकों द्वारा वर्ष 2003 से किए गए मानवता के खिलाफ कथित अपराधों की जांच फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।
- 'आईसीसी' ने नीदरलैंड में स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के माध्यम से तालिबान को फिर से जांच शुरू करने संबंधी अपने इरादे के बारे सूचित कर दिया है।

पृष्ठभूमि:

- अशरफ गनी की तत्कालीन अफगान सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) के वकीलों के सहयोग से सबूत इकट्ठा करने के लिए समय दिए जाने के अनुरोध के बाद अप्रैल 2020 में 'आईसीसी' की पिछली जांच को स्थगित कर दिया गया था।

आईसीसी (ICC):

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court -ICC) हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह नरसंहार, युद्ध अपराधों तथा मानवता के खिलाफ अपराधों के अभियोजन के लिए अंतिम न्यायालय है।
- ICC पहला स्थायी, संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय समुदायों से संबधित गंभीर अपराधों को करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाने तथा उन्हें सजा देने के लिए की गयी है।
- ICC की स्थापना 'रोम क़ानून' (Rome Statute) के अंतर्गत की गयी, जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।

फंडिंग (Funding):

- न्यायालय का खर्च मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा उठाया जाता है, परन्तु इसे सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी व्यक्तियों, निगमों तथा अन्य संस्थाओं से स्वैच्छिक योगदान भी प्राप्त होता है।

संरचना और मतदान शक्ति:

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के प्रबंधन, विधायी निकाय तथा सदस्य सभा में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
- प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए "हर संभव प्रयास" किया जाता है। किसी विषय पर सर्वसम्मति नहीं होने पर वोटिंग द्वारा निर्णय किया जाता है।
- ICC में एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष होते है, इनका चुनाव सदस्यों द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।

आईसीसी की आलोचनाएँ:

- यह संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं है इसके लिए ICC को सदस्य राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है।
- ICC के आलोचकों का तर्क है कि आईसीसी अभियोजक तथा न्यायाधीशों के अधिकार पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन हैं एवं अभियोगों के राजनीतिकरण होने के विरुद्ध अपर्याप्त प्रावधान है।
- ICC पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है और पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक उपकरण होने के नाते, समृद्ध तथा शक्तिशाली देशों द्वारा किए गए अपराधों की अनदेखी करता

है तथा छोटे और कमजोर देशों के नेताओं को दंडित करता है।

- ICC **कई मामलों को राज्य सहयोग के बिना सफलतापूर्वक** नहीं हल कर सकता है, **इससे कई समस्याएं उत्पन्न** होती है।

ICJ vs. ICC

	International Court of Justice (ICJ) La Cour Internationale de Justice (CIJ)	International Criminal Court (ICC) La Cour pénale internationale (CPI)
Year Court Established	1946	2002
UN-Relationship	Official court of the U.N., commonly referred to as the "World Court."	Independent. May receive case referrals from the UN Security Council.
Location	The Hague, The Netherlands	The Hague, The Netherlands
Types of Cases	Contentious between parties & Advisory opinions	Criminal prosecution of individuals
Subject Matter	Sovereignty, boundary, & maritime disputes, trade, natural resources, human rights, treaty violations, treaty interpretation, and more.	Genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression
Funding	UN-funded.	Assessed contribution from state parties to the Rome Statute; voluntary contributions from the U.N.; voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations and other entities.

सरकारी उधारी

- महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु 'राजस्व अंतर' को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 5.03 लाख करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे।
- सरकार द्वारा पहली छमाही के दौरान 'बांड' जारी कर 7.02 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।

पृष्ठभूमि:

- सरकार, 'दिनांकित प्रतिभूतियों' और 'ट्रेजरी बिलों' के माध्यम से अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से धन जुटाती है।
- बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जोकि वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से कम है।

'सरकारी उधारी' क्या है?

- यह उधारी, सरकार द्वारा लिया गया एक ऋण होती है, जो बजट दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आती है।
- सामान्यतः सरकार, सरकारी प्रतिभूतियोंऔर ट्रेजरी बिल को जारी करके बाजार से ऋण लेती है।

बढ़ी हुई सरकारी उधारी सरकार के वित्त को कैसे प्रभावित करती है?

- सरकारकेराजकोषीयघाटेकेभारीबोझ, उसके पिछले कर्ज पर देय ब्याज के कारण होता है।

- यदि सरकार अनुमानित राशि से अधिक ऋण लेती है, तो इसकी ब्याज लागत भी अधिक होगी, जो अंततः राजकोषीय घाटे को प्रभावित करती है और सरकार के वित्त को हानि पहुंचाती है।
- बड़े उधारी कार्यक्रम के कारण सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होती है और विशेष रूप से ऐसे समय में जब जीडीपी की वृद्धि दर नियंत्रित हो तो यह एक उच्च ऋण–जीडीपी अनुपात को दर्शाती है।

ऑफ-बजट ऋण':

- 'बजटेतर ऋण / ऑफ-बजट ऋण' (Off-budget borrowing), केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिए गए ऋण होते हैं। इस प्रकार के ऋण सीधे केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं।
- इस प्रकार के ऋणों का उपयोग सरकार की व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- चूंकि, इन ऋणों की देयता जिम्मेवारी औपचारिक रूप से केंद्र पर नहीं होती है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है।
- इससे देश के राजकोषीय घाटे को एक स्वीकार्य सीमा के भीतर सीमित रखने में सहायता मिलती है।

आकाश प्राइम सरफेस-टू-एयर मिसाइल: डीआरडीओ

- हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) चांदीपुर, ओडिशा से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण 'आकाश प्राइम' (Akash Prime) का परीक्षण किया।
- इससे पहले डीआरडीओ ने आकाश एन-जी (नई पीढ़ी) और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Man Portable Anti-Tank Guided Missile) लॉन्च की थी।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

- यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE) तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP) के संयोजन के बाद की गई थी।

प्रमुख बिंदु

आकाश प्राइम:

- यह मौजूदा आकाश प्रणाली की तुलना में बेहतर सटीकता के लिये स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जिस लक्ष्य पर मिसाइल दागी गई है वहीं पहुँचे।
- आकाश प्राइम में अन्य सुधार भी शामिल किये गए थे जैसे- उच्च ऊँचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करना।

विकास और उत्पादन

- मिसाइल और सामरिक प्रणाली (Missiles and Strategic System) के अंतर्गत अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा विकसित।

आकाश मिसाइल:

- आकाश भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा (SAM) में मार करने वाली मिसाइल है जो कई

दिशाओं, कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफार्म्स के माध्यम से युद्धक टैंकों या ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लगभग 90% तक लक्ष्य को भेदने की सटीकता की संभावना है।

- आकाश SAM का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा 1980 के दशक के अंत में एकीकृत निर्देशित मिसाईल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- इस प्रकार से यह अद्वितीय है क्योंकि यह रडार प्रणाली समूह या स्वायत्त मोड में कई दिशाओं से अत्यधिक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेशर्स (Electronic Counter-Counter Measures-ECCM) जैसी विशेषताएँ है जिसका अर्थ है कि इसमें ऑन-बोर्ड तंत्र हैं जो डिटेक्शन सिस्टम के प्रभाव को कम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सामना कर सकते हैं।
- इस मिसाइल का संचालन स्वदेशी रूप सेविकसित रडार 'राजेंद्र' द्वारा किया जाता है।
- यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.5 गुना तीव्र गति से लक्ष्य को भेद सकती है तथा निम्न, मध्यम और उच्च ऊँचाई पर लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकती है।
- यह मिसाइल ठोस ईंधन तकनीक और उच्च तकनीकी रडार प्रणाली के कारण अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों (US' Patriot Missiles) की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था।

- इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था।
- इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।

इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:

पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।

अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।

त्रिशूल: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।

नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।

आकाश: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

लैंडसैट 9

- हाल ही में नासा ने कैलिफोर्निया में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक अर्थ ऑब्ज़र्वेशन/मॉनिटरिंग सैटेलाइट (Earth Monitoring Satellite) लॉन्च किया है।

- इसे लैंडसैट 9 (Landsat 9) नाम दिया गया है। यह उपग्रह नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) का संयुक्त मिशन है।

- इस उपग्रह को नासा की 'आकाश में स्थित नई आँख' (New Eye in the Sky) के रूप में जाना जाता है जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में मदद करेगा।

पृष्ठभूमि:

- लैंडसैट9 पृथ्वी का अवलोकन करने वाले अंतरिक्षयान की एक अगली श्रृंखला है, जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है।
- पहलालैंडसैटउपग्रह1972 में लॉन्च किया गया था और तब से लैंडसैट उपग्रहों ने पृथ्वी की छवियों को एकत्र किया है तथा यह समझने में मदद की है कि दशकों में भूमि का उपयोग कैसे बदल गया है।
- वर्ष2008 में यह निर्णय लिया गया था कि सभी लैंडसैट छवियाँ मुफ्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगी तथा इस नीति ने कई शोधकर्त्ताओं, किसानों, नीति विश्लेषकों, ग्लेशियोलॉजिस्ट और भूकंपविदों की मदद की है।
- लैंडसैट छवियों का उपयोग वनों के स्वास्थ्य, प्रवाल भित्तियों, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और ग्लेशियरों के पिघलने के अध्ययन के लिये किया गया है।

लैंडसैट 9 के बारे में:

- लैंडसैट 9 को वर्ष 2013 में लॉन्च किये गए लैंडसैट 8 से जोड़ा गया है तथा दोनों उपग्रह मिलकर पृथ्वी की सतह की छवियाँ एकत्र करेंगे।

- इनको संपूर्ण पृथ्वी का छायांकन करने में 8 दिन लगते हैं।
- लैंडसैट 9 अन्य लैंडसैट उपग्रहों के समान उपकरणों को वहन करता है, लेकिन यह अपनी पीढ़ी का तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उपग्रह है।
- लैंडसैट 9 के प्रमुख उपकरण ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 (OLI-2) और थर्मल इन्फ्रारेड सेंसर 2 (TIRS-2) हैं।
- OLI-2: यह पृथ्वी की सतह से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और स्पेक्ट्रम के दृश्य, नज़दीकी-अवरक्त या इंफ्रारेड तथा लघु अवरक्त तरंगों के भागों का अध्ययन करता है।
- TIRS-2: इसमें चार-तत्त्वों वाला अपवर्तक दूरबीन और प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर है जो थर्मल विकिरण को अवशोषित करते हैं तथा पृथ्वी की सतह के तापमान का अध्ययन करने में मदद करते हैं।
- लैंडसैट उपग्रह, यूरोपियन यूनियन के सेंटिनल-2 उपग्रहों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की सीमा का बेहतर अनुमान प्रदर्शित करेगा।

सेंटिनल उपग्रह

- यह कोपरनिकस कार्यक्रम के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित उपग्रहों की फैमिली है।
- कोपरनिकस कार्यक्रम ESA द्वारा प्रबंधित पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 1998 में शुरू किया गया था।
- इसका नाम वैज्ञानिक और पर्यवेक्षक निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया था। कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित (सूर्य-केंद्रित) ब्रह्मांड के सिद्धांत ने आधुनिक विज्ञान में अग्रणी योगदान दिया था।

सेंटिनल उपग्रह विभिन्न उद्देश्यों के लिये समर्पित छह उपग्रहों का एक समूह है।

सेंटिनल 1: यह सभी मौसम, दिन और रात के रडार इमेज़िंग करता है।

सेंटिनल 2: यह भूमि सेवाओं के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल छवियाँ प्रदान करता है।

सेंटिनल 3: यह भूमि और महासागर पर डेटा वितरित करता है।

सेंटिनल 4 और 5: भूस्थिर और ध्रुवीय कक्षाओं से वातावरण की निगरानी करता है।

सेंटिनल 6: समुद्र विज्ञान और जलवायु अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

- हाल ही में भारत ने EOS-01 उपग्रह लांच किया है।
- यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और कृषि, वानिकी तथा आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों में सहायता प्रदान करता है।
- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह हैं। पृथ्वी अवलोकन का आशय पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी जुटाना है।
- कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है।
- ISRO द्वारा लॉन्च किये गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट- 2, 2A; कार्टोसैट-1, 2, 2A, 2B; रिसैट-1 और

2; ओशनसैट-2; मेघा-ट्रॉपिक्स; सरल और स्कैटसैट-1; इन्सैट-3DR, 3D शामिल हैं।

देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे

- हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है।

इलेक्ट्रिक हाईवे होता क्या है?

- बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिये कि एक ऐसा हाईवे जिसपर इलेक्ट्रिक वाहन चलते हों।

- जिस तरह ट्रेन बिजली के जरिए चलती है ठीक उसी तरह हाइवे पर भी बिजली के तार लगाए जाएंगे। हाइवे पर चलने वाले वाहनों को इन तारों के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसे ही ई-हाइवे यानी इलेक्ट्रिक हाइवे कहा जाता है।

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, ये ई-हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जाएगा। 200 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा।

- गौरतलब है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह देश का पहला ई-हाईवे होगा।

इलेक्ट्रिक हाईवे काम कैसे करेगा?

- इसके लिए आपको बता दें कि दुनियाभर में तीन अलग-अलग तरह की टेक्नोलॉजी ई-हाईवे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं - पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल और इंडक्शन मॉडल।

- पेंटोग्राफ मॉडल में सड़क के ऊपर एक तार लगाया जाता है, जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। एक पेंटोग्राफ के जरिए इस बिजली को वाहन में सप्लाई किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट इंजन को पॉवर देती है या वाहन में लगी बैटरी को चार्ज करती है। वर्तमान में, भारतीय ट्रेनों में यही मॉडल इस्तेमाल में लाया जा रहा है. चूँकि भारत सरकार स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है, इसलिए माना जा रहा है कि स्वीडन वाली टेक्नोलॉजी ही भारत में भी लाई जाएगी। बता दें कि स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल का ही इस्तेमाल किया जाता है.

- कंडक्शन मॉडल में सड़क के भीतर ही तार लगा होता है, जिस पर पेंटोग्राफ टकराता हुआ चलता है। इसमें वाहन के पिछले हिस्से में पेंटोग्राफ लगा होता है, जो सड़क पर बिछे बिजली की तार से ऊर्जा प्राप्त करता है।

- इंडक्शन मॉडल में किसी तरह के तार का इस्तेमाल नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट के जरिए वाहन को बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है।

ई-हाईवे से फायदा क्या होगा?

- इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे वाहनों की आवाजाही पर आने वाले खर्च में भारी कमी हो सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक, ई-हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। मौजूदा वक्त में ट्रांसपोर्टेशन लागत का ज्यादा होना चीजों की कीमतों में बढ़ोत्तरी की एक बड़ी वजह है।

- ऐसे में, अगर अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आएगी, तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसका दूसरा फायदा यह होगा कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा।

- वाहनों को चलाने केलिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पेट्रोल-डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होगी।

क्या ई-हाईवे पर कार और जीप जैसे निजी वाहन भी चलाए जा सकेंगे?

- यहां आपको बता दें कि स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में इनका इस्तेमाल माल वाहन के लिए ही किया जाता है।

- निजी वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलती तो हैं, लेकिन वह बैटरी की मदद से चलती हैं।

- सीधी सप्लाई केवल ट्रक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे वाहनों में ही दी जाती है। हां, निजी वाहनों की सुविधा के लिए इस हाईवे पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां इन्हें चार्ज किया जा सकेगा।

ई-हाईवे की राह में कुछ चुनौतियां

- इसमें सबसे बड़ी चुनौती इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की है। इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का खर्च आम रोड के मुकाबले ज्यादा आता है और इसमें समय भी ज्यादा लगता है।

- दूसरी चुनौती की बात करें तो वर्तमान में, भारत में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है. ऐसे में इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करना एक मुश्किल काम होगा।

- इसके अलावा, जो तीसरी मुश्किल है वह यह कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाना अपने आप में एक जटिल टास्क है।

एल्डर लाइन: बुजुर्गों के लिये टोल-फ्री नंबर

- हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Older

Persons) जो प्रतिवर्ष 1 अक्तूबर को मनाया जाता है, से पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिये पहला अखिल भारतीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14567) एल्डर लाइन लॉन्च किया।

- इससे पहले SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल शुरू की गई थी।

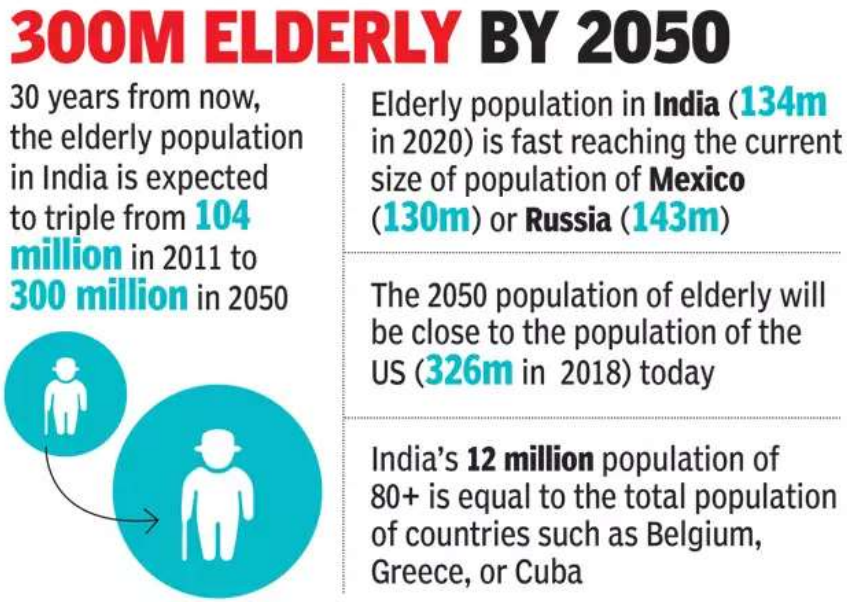

परिचय:

- यह दुरुपयोग के मामलों में तत्काल सहायता करने के अलावा विशेष रूप से पेंशन, चिकित्सा और कानूनी मुद्दों पर सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है।
- यह सभी वरिष्ठ नागरिकों या उनके शुभचिंतकों को देश भर में एक मंच प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है ताकि वे अपनी चिंताओं को साझा कर सकें और उन समस्याओं के बारे में जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें जिनका वे प्रतिदिन सामना करते हैं।

आवश्यकता:

- लॉन्गिटूडिनल एजिंग स्टडीज़ ऑफ इंडिया (Longitudinal Ageing Study of India- LASI) के अनुसार, भारत में वर्ष 2050 में वृद्धजनों की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी, जो कि अभी 120 मिलियन है।
- वरिष्ठ नागरिकों की आबादी को मानसिक, वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और कानूनी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- कोविड-19 महामारी ने वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को और खराब कर दिया है।

बुजुर्गों से संबंधित अन्य पहलें:

- वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (IPOP)
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
- वयोश्रेष्ठ सम्मान
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007

वृद्धावस्था

- उम्र का बढ़ना एक सतत्, अपरिवर्तनीय, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से शुरू होती है और मृत्यु तक जारी रहती है।
- हालाँकि जिस उम्र में किसी के उत्पादक योगदान में गिरावट आती है और वह आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, उसे जीवन के वृद्ध चरण की शुरुआत के रूप में माना जा सकता है।
- राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति 60+ आयु वर्ग के लोगों को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करती है।

आपदा मित्र योजना

- देश के 30 ज़िलों में 'आपदा मित्र' योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर के 350 ज़िलों में 'आपदा मित्र' (आपदा में मित्र) योजना को शुरू करने की योजना बना रही है।
- इसके साथ ही कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (Common Alerting Protocol- CAP) हेतु भी दस्तावेज़ जारी किये गए हैं।
- CAP सभी प्रकार के नेटवर्क पर आधारित आपातकालीन अलर्ट और सार्वजनिक चेतावनियों के आदान-प्रदान हेतु एक सरल लेकिन सामान्य प्रारूप है।

योजना के बारे में:

- यह एककेंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
- यह आपदा-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है, जिसमें आपदाओं के समय प्रथम आपदा मित्र अर्थात् बचाव कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है।

लक्ष्य:

- योजना के तहत समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल ज़रूरतों को ध्यान के रखते हुए आवश्यक कौशल प्रदान करना जिससे वे अचानक बाढ़ और

शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत और बचाव कार्य करने में सक्षम हो सकें।

विशेषताएँ:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पैनलबद्ध (Empanelled) प्रशिक्षण संस्थान।
- सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया (बाढ़ राहत और बचाव), समन्वय, जीवन रक्षक कौशल में प्रशिक्षित करना तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया किट प्रदान करना।
- ज़िला/ब्लॉक स्तर पर एक सामुदायिक आपातकालीन भंडार/रिज़र्व बनाना जिसमें आवश्यक सामान जैसे- टार्च, बचाव उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा किट आदि शामिल हों।
- योजना के बाद के चरणों में बाढ़ग्रस्त ज़िलों में परियोजना के तहत विकसित प्रशिक्षण और शिक्षा उपकरणों का प्रसार करना।

अन्य आपदा संबंधी पहलें:

भारतीय:

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष
- आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005
- आपदा-रोधी अवसरंचना के लिए गठबंधन (CDRI)

वैश्विक:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदायी फ्रेमवर्क 2015-2030

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- इसका औपचारिक रूप से गठन 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान प्रतिक्रियाओं हेतु समन्वय कायम करना और आपदा-प्रत्यास्थ (आपदाओं में लचीली रणनीति) व संकटकालीन प्रतिक्रिया हेतु क्षमता निर्माण करना है।
- यह एक समग्र, अग्रसक्रिय तकनीक संचालित और संवहनीय विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत बनाने की परिकल्पना करता है जिसमें सभी हितधारकों की मौजूदगी हो तथा जो आपदा रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति (Culture) का पालन करती हो।

चिकित्सीय उपकरण संबंधी पार्क योजना

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने चिकित्सीय उपकरण संबंधी पार्क योजना के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किये हैं |
- योजना के लिए 2024-25 तक के लिए 400 करोड़ रूपये के फण्ड का प्रावधान किया गया है |

पृष्ठभूमि

- विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग होने के बावजूद भारत दवाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है |
- भारत वर्तमान में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार के 80-90% चिकित्सा उपकरणों का आयात करता है |
- कोरोना महामारी के दौरान कई देशों ने संरक्षणवादी नीतियों के अंतर्गत चिकित्सीय उपकरणों और आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया था |

- ऐसे में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप चिकित्सा उपकरण उद्योग का समर्थन करने के लिये "चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने" की योजना प्रारंभ की है |
- चिकित्सा उपकरणों में सर्जिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक उपकरण जैसे- सीटी स्कैन, एक्स-रे, मॉलिक्यूलर इमेजिग, एमआरआई और हाथ से प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों सहित लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे- वेंटिलेटर आदि के साथ-साथ इम्प्लांट्स एवं डिस्पोज़ल तथा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग शामिल हैं |

योजना का उद्देश्य –

- चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत को कम करना |
- घरेलू बाज़ार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता तथा क्षमता को बढ़ाना |
- योजना की लागत - योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है | और योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक है |
- केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% जबकि अन्य राज्यों को 70% अनुदान केंद्र द्वारा प्रदान किया जायेगा |
- केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पार्कों के निर्माण के लिये मंज़ूरी दे दी है |

योजना के लाभ –

- भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं |

- 'मेक इन इंडिया' योजना को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि 'मेक इन इंडिया'योजना के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों को एक सनराइज़ क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी थी ।
- भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा,जिससे रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे |
- भारत में स्वास्थ्य संबंधी खर्च में कमी आ सकती है क्योंकि आयातित उपकरण काफी महंगे होते हैं |

कोविड-19 मुआवजा

- हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों हेतु 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने के लिये आदेश जारी किये हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) द्वारा इस प्रकार की राशि की सिफारिश की गई।
- यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से वितरित की जाएगी।
- पिछले वर्ष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया था।

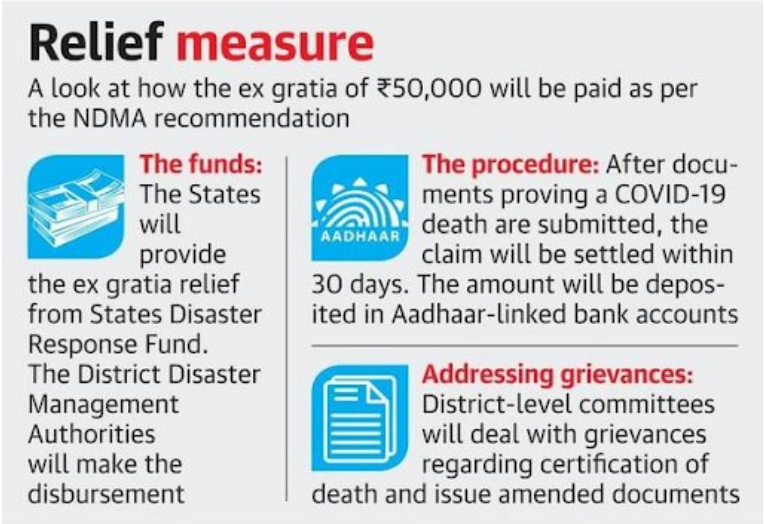

प्रमुख बिंदु

अनुग्रह राशि के बारे में:

- मृत्यु के कारण को कोविड-19 के रूप में प्रमाणित होने पर मृतक के लिये अनुग्रह राशि लागू होती है। जिसमें राहत कार्यों में शामिल या राहत गतिविधियों में कार्यरत लोग शामिल होते हैं।
- यह सहायता देश में कोविड-19 के पहले मामले की तारीख से लागू होगी और आपदा के रूप में कोविड-19 की अधिसूचना या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):

SDRF के बारे में:

- SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (a) के तहत किया गया है।
- इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

- यह राज्य सरकारों के पास अधिसूचित आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिये तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिये उपलब्ध प्राथमिक निधि है।
- इसका ऑडिट हर साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India-CAG) द्वारा किया जाता है।

योगदान:

- केंद्र सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हेतु SDRF आवंटन का 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लिये 90% का योगदान देता है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय अंशदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।

SDRF के अंतर्गत शामिल आपदाएं:

- चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहरें।

स्थानीय आपदाएं:

- राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में

'आपदा' मानते हैं और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

चक्रवात 'गुलाब'

- हाल ही में चक्रवात 'गुलाब' (Cyclone Gulab) ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है।
- इसके अलावा एक अन्य चक्रवात 'शाहीन' अरब सागर के ऊपर बन सकता है।

प्रमुख बिंदु

चक्रवातों का नामकरण:

- गुलाब एक उष्णकटिबंधीयचक्रवात था और इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। इसने दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया था।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं।
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है।
- इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड,

ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विश्व के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (Regional Specialised Meteorological Centres-RSMC) में से एक है, जिसे सलाह जारी करने तथा उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार है।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।

घटना:

- भारत में चक्रवात का द्विवार्षिक मौसम होता है, जो मार्च से मई और अक्तूबर से दिसंबर के बीच होता है। लेकिन दुर्लभ अवसरों पर जून और सितंबर के महीनों में चक्रवात आते हैं।
- चक्रवात गुलाब वर्ष 2018 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'डे' (Daye) और वर्ष 2005 में प्यार (Pyarr) के बाद सितंबर में पूर्वी तट पर पहुँचने वाला 21वीं सदी का तीसरा चक्रवात है।
- आमतौर पर उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र (बंगाल की खाड़ी और अरब सागर) में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून से पहले (अप्रैल से जून) और मानसून के बाद (अक्तूबर से दिसंबर) की अवधि के दौरान विकसित होते हैं।
- मई-जून और अक्तूबर-नवंबर माह अति तीव्रता वाले चक्रवात उत्पन्न करने के लिये जाने जाते हैं जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं।

वर्गीकरण:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न 'अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति' (Maximum

Sustained Surface Wind Speed- MSW) के आधार पर वर्गीकृत करता है।

- चक्रवातों को गंभीर (48-63 समुद्री मील), बहुत गंभीर (64-89 समुद्री मील), अत्यंत गंभीर (90-119 समुद्री मील) और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म (120 समुद्री मील) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक नॉट (knot) 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है।
- चक्रवात गुलाब गंभीर श्रेणी के चक्रवातों में आता है, जिसकी अधिकतम गति 95 किमी/घंटा है।
- वर्ष 2020-21 में भारत में आने वाले चक्रवात: ताउते, यास, निसर्ग, अम्फान।

प्रधानमंत्री पोषण योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु 'प्रधानमंत्री पोषण योजना' को मंज़ूरी दी है।

- यह योजना स्कूलों में मिड-डे मील योजना के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्थान लेगी।
- इसे पाँच वर्ष (2021-22 से 2025-26) की शुरुआती अवधि के लिये लॉन्च किया गया है।

मिड-डे मील योजना

- **'मिड-डे मील योजना' शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था।**
- यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु दुनिया के सबसे बड़े स्कूली भोजन कार्यक्रमों में से एक है।
- इसके तहत कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।
- खाद्यान्न की अनुपलब्धता अथवा अन्य किसी कारण से यदि विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार आगामी माह की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी।

प्रमुख बिंदु

प्रधानमंत्री पोषण योजना

कवरेज़:

- यह योजना देश भर के 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1से VIII तक नामांकित 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करेगी।
- प्राथमिक (1-5) और उच्च प्राथमिक (6-8) स्कूली बच्चे वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, ताकि न्यूनतम 700 कैलोरी सुनिश्चित की जा सके।

- इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे प्री-प्राइमरी या बालवाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
- बालवाटिका एक प्रकार के प्री-स्कूल होते हैं, जिन्हें बीते वर्ष सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने के लिये शुरू किया गया था।

पोषाहार उद्यान:

- इसके तहत सरकार, स्कूलों में 'पोषाहार उद्यानों' को बढ़ावा देगी। छात्रों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने हेतु उद्यान स्थापित किये जायेंगे।

पूरक पोषण:

- नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है।
- यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियों के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करता है।
- वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को हटा लिया गया है।

तिथि भोजन की अवधारणा:

- तिथिभोजन (TithiBhojan) की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

- तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन प्रदान करते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):

- केंद्र सरकार राज्यों से स्कूलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करेगी, जो इसका उपयोग भोजन पकाने की लागत को कवर करने के लिये करेगी।
- पहले राज्यों को धन आवंटित किया जाता था, जिसमें ज़िला और तहसील स्तर पर एक नोडल मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण को भेजने से पहले धन का अपना हिस्सा शामिल होता था।
- इसके माध्ययम से यह सुनिश्चित करना है कि ज़िला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर कोई चूक न हो।

पोषण विशेषज्ञ:

- प्रत्येक स्कूल में एक पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना है, जिसकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि बॉडी मास इंडेक्स (BMI), वज़न और हीमोग्लोबिन के स्तर जैसे स्वास्थ्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।

योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा:

- योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये प्रत्येक राज्य में प्रत्येक स्कूल हेतु योजना का सामाजिक लेखा परीक्षा भी अनिवार्य किया गया है, जो अब तक सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा था।

- शिक्षा मंत्रालय स्थानीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिये कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को भी शामिल करेगा।

फंड शेयरिंग:

- 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत में से केंद्र 54,061 करोड़ रुपए वहन करेगा, जिसमें राज्य 31,733 करोड़ रुपए (45,000 करोड़ रुपए खाद्यान्न के लिये सब्सिडी के रूप में केंद्र द्वारा जारी किए जायेंगे) का भुगतान करेंगे।

आत्मनिर्भर भारत हेतु वोकल फॉर लोकल:

- योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय रूप से निर्मित जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

चुनौतियाँ:

पोषण लक्ष्यों को पूरा करना:

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार, भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः वर्ष 2025 तक 'वैश्विक पोषण लक्ष्यों' (Global Nutrition Targets) को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे।

गंभीर 'भुखमरी' स्तर:

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर रहा है। भारत में भुखमरी का स्तर 'गंभीर' (Serious) है।

कुपोषण का खतरा:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 के अनुसार, देश भर के कई राज्यों ने कुपोषण की स्थिति में सुधार के बावजूद एक बार पुनः कुपोषण के मामलों में वृद्धि दर्ज की है।
- भारत में विश्व के लगभग 30% अल्पविकसित बच्चे और पाँच वर्ष से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमज़ोर बच्चे हैं।

अन्य:

- भ्रष्ट आचरण और जातिगत पूर्वाग्रह तथा भोजन परोसने में भेदभाव।

सरकार द्वारा की गईं अन्य संबंधित पहलें:

- एनीमिया मुक्त भारत अभियान
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- पोषण अभियान

'विशेष श्रेणी राज्य' का दर्जा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बिहार सरकार ने ज़ोर देकर कहा है कि उसने बिहार को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (Special Category Status) देने की मांग को वापस नहीं लिया है।

प्रमुख बिंदु

विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा:

- विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिये केंद्र द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं।
- यह वर्गीकरण वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था।

यह गाडगिल फार्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिये निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किये गए थे:

- पहाड़ी क्षेत्र।
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा।
- पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति।
- आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन।
- राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।

- विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को दिया गया था। तब से लेकर अब तक आठ अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड) को यह दर्जा दिया गया है।
- संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (SCS) देने का कोई प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिये विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया गया था, जिन्हें विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
- अब ऐसे राज्यों को केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाता है।
- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया है।
- इसके बजाय, इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया, जिसे वर्ष 2015 से लागू किया गया है।

SCS वाले राज्यों को लाभ:

- केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि के 90% हिस्से का भुगतान किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में केंद्र सरकार केवल 60% या 75% ही भुगतान करती है।
- खर्च न किया गया धन व्यपगत नहीं होता और उसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।

- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।

Like, Share, and Subscribe!